(9)

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, लालसोट

राजस्व वाद संख्या :– 33 / 2020

रज्जू दिनांक :– 16.12.2020

मेघराज पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी बगड़ी तहसील लालसोट जिला – दौसा

(वादीगण)

बनाम्

जगदीश पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी बगडी तहसील लालसोट जिला दौसा

(प्रतिवादीगण)

वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
(अ0 धारा 88,188 रा.का. अधिनियम)

उपस्थित : 1. श्री उमेश गोड अधिवक्ता (वादी)
2. श्री कमलेश सैनी अधिवक्ता (प्रतिवादी)

निर्णय

दिनांकः– 07.04.2021

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख. नं. 817 / 1 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा वाकै ग्राम बगड़ी तहसील लालसोट में स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के पूर्व खसरा नं. 817, 832, 833, व 848 किता चार कुल रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक लालसोट

वाकै ग्राम बगड़ी तहसील लालसोट पूर्व में कल्याण बिशनलाल पुत्र मिश्रीलाल हिस्सा 1/2 एवं जगदीश पुत्र हीरालाल 1/2 भूमि एकीकरण के समय खातेदारी भूमि एकीकरण विभाग द्वारा अंकित हो गई। हिस्सा 1/2 के हिस्सेदार मिश्रीलाल के चार पुत्रगण कल्याण, किशनलाल, राजाराम व बृजमोहन मे से उनके दो पुत्रगण राजाराम व बृजमोहन का नाम अंकित नहीं हुआ जिसे बाद में अंकित करवाया गया तथा स्व0 हीरालाल के दो पुत्रगण वादी एवम प्रतिवादी जगदीश में से मात्र जगदीश प्रतिवादी का ही नाम अंकित किया गया। वादी भू एकीकरण के समय अल्पवयस्क था अतः वादीगण का नाम अपने पिता की आराजी में अंकित नही हुआ जबकि वादी एवम् प्रतिवादी का अपने पिता की खातेदारी भूमि में आधा–आधा हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी हिस्सा 1/2, 1/2 बराबर–बराबर हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहें है। सहखातेदारान् स्व. मिश्रीलाल एवं हीरालाल की खातेदारी भूमियों ख.नं. 817, 832, 833 व 848 कुल किता–चार कुल रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम बगड़ी का विभाजन स्व0 मिश्रीलाल के पुत्रगण कल्याण, किशनलाल, राजाराम, व बृजमोहन हिस्सा 1/2 अंकित सहखातेदारान व प्रतिवादी जगदीश हिस्सा 1/2 अंकित सहखातेदार के बीच मुकदमा विभाजन वाद सं. 171/92 निर्णय दिनांक 21.02.93 के द्वारा होकर प्रतिवादी जगदीश के हिस्सा 1/2 में आराजी खसरा नम्बर 817 रकबा 20 बीघा 04 बिस्वा का 17 बीघा 03 बिस्वा रकबा विभाजन स्वरूप आया जिसकी खातेदारी जगदीश पुत्र हीरालाल के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण सं. 451 दिनांक 02.09.93 के अनुसार अंकित चली आ रही है। वादी व प्रतिवादी खं नं. 817/1 रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा के

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्टेट फास्ट ट्रेक लालसोट

आधे – आधे हिस्से के हिस्सेदार हकदार सहखातेदार व काबिज काश्तकार हैं। अतः वादी को ख. नं. 817/1 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा के 1/2 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि प्रतिवादी वादी के हिस्सा 1/2 की भूमि का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के पक्ष में विक्रय पत्र, दानपत्र, बंधकपत्र, दृष्टिबंधक पत्र अथवा अनुबंध पत्र निष्पादित कर पंजीकृत नही करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश सैंनी–2 हाजिर आये तथा इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी ने अपने जवाब में वादी को वादग्रस्त आराजी ख. नं. 817/1 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा मे हिस्सा 1/2 की खातेदारी दिए जाने में कोई आपत्ति जाहिर नही की। साथ ही प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र डी. डब्लू. – 1 पेश कर वादी को वादग्रस्त आराजी में आधे हिस्से की खातेदारी देने की अनापत्ति/ सहमति जाहिर की। तत्पश्चात् पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई । अधिवक्ता वादी द्वारा शपथ पत्र पी. डब्लू 1 पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। उक्त शपथ पत्र में वादी द्वारा कथन किया गया है कि आराजी ख. नं. 817/1 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बगडी तहसील लालसोट में स्थित हैं। आराजी के पूर्व खसरा नं. 817, 832, 833, व 848 किता – 4 कुल रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम बगडी पूर्व में कल्याण किशनलाल पुत्र मिश्रीलाल हिस्सा 1/2 एवं जगदीश पुत्र हीरालाल 1/2 भूमि एकीकरण के समय खातेदारी भूमि एकीकरण विभाग द्वारा अंकित हो

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोर्ट कैंप, लाल...

(12)

गई एवं खसरा नं. 817, 832, 833, व 848 किता – 4 कुल रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम बगड़ी तहसील लालसोट का विभाजन स्व0मिश्रीलाल के पुत्रगण कल्याण, किशनलाल, राजाराम व बृजमोहन हिस्सा 1/2 अंकित सहखातेदारान व प्रतिवादी जगदीश हिस्सा 1/2 अंकित के बीच मुकदमा विभाजन वाद संख्या 171/92 निर्णय दिनांक 21.02.93 के द्वारा होकर प्रतिवादी जगदीश के हिस्सा 1/2 में आराजी खसरा नं. 817 रकबा 20 बीघा 04 बिस्वा का 14 बीघा 03 बिस्वा रकबा विभाजन स्वरूप आया जिसकी खातेदारी जगदीश पुत्र हीरालाल के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण सं. 451 दिनांक 02.09.93 के अनुसार अंकित चली आ रही है।वादी व प्रतिवादी उसी रकबा 17 बीघा 3 बिस्वा खं नं. 817/1 के आधे – आधे हिस्से के हिस्सेदार हकदार सहखातेदार व काबिज काश्तकार हैं। अतः वादी को वादग्रस्त आराजी 817/1 में 1/2 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को वादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/2 पर काश्त करनें में कोई बाधा उत्पन्न नही करें एवं वादी के हिस्से की भूमि का किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को विक्रय नही करें।

प्रतिवादी की पहचान वकील प्रतिवादी के द्वारा की गयी। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 ख. नं 832, 833, 848, 1348/817 व 1349/817 ग्राम बगड़ी एवं प्रदर्श– 2 जमाबन्दी सम्वत् 2047 –2050 ख.नं. 817, 832, 833 व 848 ग्राम बगड़ी प्रदर्श– 3 भूमि एकीकरण जमाबन्दी ग्राम बगड़ी पेश की,जो शामिल मिसल की गयी। बहस विद्वान अधिवक्ता

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक लालसोट

उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा अपने कथनो के समर्थन में प्रदर्श – 1, 2 व 3 का जिक्र करते हुऐ न्यायिक दृष्टांत रेफरेन्स निर्णय दिनांक 11.08.98 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल , राजस्थान अजमेर पृष्ठ संख्या 615 पेश किया । जो शामिल मिसल किया गया। अपनी जवाबी बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने अधिवक्ता वादी के कथनों का खण्डन ना करते हुए मुताबिक वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

हमने अधिवक्ता उभयपक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभयपक्षकारान पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया । प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श – 1 जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 अनुसार नवीन खाता संख्या 48 पुराना खाता संख्या 46 खसरा नं. 832, 833, 848, 1348/817 एवं 1349/817 कुल किता – 5 कुल रकबा 28 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम बगडी तहसील लालसोट के 1/2 हिस्से का जगदीश पुत्र हीरालाल अभिलिखित खातेदार है।

प्रर्दश–2 जमाबन्दी सम्वत् 2047 – 2050 अनुसार खसरा नम्बर 817, 832, 833 एवं 848 कुल किता – 4 कुल रकबा 28 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम बगडी तहसील लालसोट के 1/2 हिस्से का अभिलिखित खातेदार जगदीश पुत्र हीरा है। जमाबन्दी सम्वत् 2047 – 2050 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 447 दिनांक 25.6.92 के द्वारा जरिये शुद्धि आदेश के कल्याण, किशनलाल, राजाराम, बृजमोहन पिता मिश्रीलाल हिस्सा 1/2 हि. ब., जगदीश पुत्र हीरा हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह के नाम स्वीकार हुआ। नामान्तरकरण संख्या 451

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालन
मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक लालसोट

दिनांक 02.09.93 के द्वारा जरिये डिक्री आदेश न्यायालय ACEM मुकदमा नं. 171/92 निर्णय दिनांक 23.02.93 के अनुसार खसरा नं. 817/1 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा जगदीश पुत्र हीरा कौम मीना सा. देह के नाम तथा खसरा नम्बर 817/2 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 832 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 833 रकबा 04 बिस्वा, 848 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा कुल किता – 4 कुल रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा कल्याण , किशनलाल पि0 मिश्रीलाल कौम मीना के नाम स्वीकार हुआ है।

जमाबन्दी सम्वत् 2047 – 50 में खसरा नं. 817 को विभाजित किया जाकर बटा नम्बर डाले गये है किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 पर गौर करें तो जाहिर है कि उक्त जमाबन्दी मे खसरा नं. 817/1 एवं 817/2 का कही पर भी इन्द्राज नही है उक्त जमाबन्दी में खसरा नं. 832, 833, 848, 1348/817, एवं 1349/817 का ही इन्द्राज है तथा जिसके कल्याण, राजाराम पि0 मिश्रीलाल हिस्से 1/4, जगदीश पुत्र हीरा हिस्सा 1/2, किशनलाल, बृजमोहन पि. मिश्रीलाल हिस्सा 1/4 के सहखातेदार है। उक्त जमाबन्दी से साबित नही होता कि वर्तमान में जगदीश पुत्र हीरा खसरा नं. 817/1 का अभिलिखित खातेदार है। अधिवक्ता वादी यह भी साबित करने में असफल रहे है कि मुकदमा विभाजन वाद संख्या 171/92 निर्णय दिनांक 21.02.93 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 451 दिनांक 02.09.93 द्वारा दर्ज प्रविष्टी खसरा नं. 817/1 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा खातेदार जगदीश पुत्र हीरा वर्तमान में भी अंकित चली आ रही है।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रतिवादी जगदीश पुत्र हीरा खसरा नं. 817/1 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा का अभिलिखित

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट फाट टेक लालसोट

(15)

खातेदार ना होकर खसरा नं. 832, 833, 848, 1348/817 एवं 1349/817 कुल किता – 5 कुल रकबा 28 बीघा 06 बिस्वा के 1/2 हिस्से का सहखातेदार है। वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अनुतोष चाहा गया है जो पोषणीय नही है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

फैसला आज दिनांक 07-04-2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
लालसोट

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक लालसोट